भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
महानियंत्रक संचार लेखा का कार्यालय
एनसीए-एफ परिसर, घिटॉरनी,
नई दिल्ली – 110047

Government of India
Ministry of Communications
Department of Telecommunications
O/o Controller General of Communication Accounts
NCA-F Campus, Ghitorni,
New Delhi –110047

No. 2-297/2025-26/Pension&IT / 789 **Dated:-** 24.12.2025

To,

1. All Pr. Controllers of Communication of Accounts | सभी प्रधान नियंत्रक संचार लेखा
2. All Controllers of Communication Accounts | सभी नियंत्रक संचार लेखा
3. Jt. Controllers of Communication Accounts (I/c) | संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा (स्वतंत्र प्रभार)

Subject: Advisory on processing Digital Life Certificates (DLCs) in SAMPANN

विषय: SAMPANN में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLCs) के प्रसंस्करण संबंधी परामर्श

It has been brought to the notice of this office that Digital Life Certificates (DLCs) submitted via Jeevan Pramaan are being rejected due to mismatch in Date of Birth between service records and Aadhaar details. Further, the offices are insisting on submission of Manual life certificate. In this regard the following guidelines are issued.

इस कार्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLCs) सेवा अभिलेखों और आधार विवरणों में जन्मतिथि के असंगति के कारण अस्वीकृत किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यालयों द्वारा मैनुअल जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

2. A user manual issued by this office during Jeevan Pramaan integration with SAMPANN (Copy attached) already provides detailed instructions for handling DLCs under four circumstances as below:

   i. Both PPO and Aadhaar matched – Auto updated by the system.
   ii. PPO matched but Aadhaar not matched - Acceptance/Rejection at DH, AAO level.
   iii. PPO not matched but Aadhaar matched - Acceptance/Rejection at DH, AAO level.
   iv. Both PPO and Aadhaar not matched - Acceptance/Rejection at DH, AAO level.

2. इस कार्यालय द्वारा जीवन प्रमाण के SAMPANN के साथ एकीकरण के समय जारी उपयोगकर्ता पुस्तिका (संलग्न प्रति) में DLCs के निपटान हेतु चार परिस्थितियों में विस्तृत निर्देश पहले से ही दिए गए हैं:

i. PPO और आधार दोनों मेल खाते हैं – प्रणाली द्वारा स्वतः अद्यतन।
ii. PPO मेल खाता है पर आधार मेल नहीं खाता – स्वीकृति/अस्वीकृति DH, AAO स्तर पर।
iii. PPO मेल नहीं खाता पर आधार मेल खाता है – स्वीकृति/अस्वीकृति DH, AAO स्तर पर।
iv. PPO और आधार दोनों मेल नहीं खाते – स्वीकृति/अस्वीकृति DH, AAO स्तर पर।

3. Vide DOT HQ letter No. 16-65/2025-O&M dated 15.10.2025, a DO letter dated 06.10.2025 issued by CEO, UIDAI has clarified that Aadhaar is not a valid proof of citizenship or Date of Birth and must not be used for establishing the same.In view of the above and to avoid hardship to pensioners/family pensioners, it is hereby advised that all CCA offices **shall not rely on Aadhaar details for establishing Date of Birth of pensioners while processing DLCs**. The service records and PPO shall remain the primary basis for verification

3. दूरसंचार विभाग मुख्यालय पत्र संख्या 16-65/2025 O&M दिनांक 15.10.2025 तथा CEO, UIDAI द्वारा जारी DO पत्र दिनांक 06.10.2025 में स्पष्ट किया गया है कि आधार नागरिकता अथवा जन्मतिथि का वैध प्रमाण नहीं है और इसे इस प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अतः पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को कठिनाई से बचाने के लिए सभी CCA कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि DLCs के प्रसंस्करण के समय जन्मतिथि की पुष्टि हेतु आधार विवरणों पर निर्भर न रहें। सेवा अभिलेख और PPO ही सत्यापन का प्राथमिक आधार रहेंगे।

4. Further, in cases where the name of the pensioner or family pensioner recorded in service records/PPO does not exactly match the name in Aadhaar, the DH and AAO should exercise reasonable judgment and avoid rejecting the Digital Life Certificate merely on account of minor discrepancies such as spelling variations, use of initials etc. Only substantive differences that clearly indicate a mismatch of identity should be treated as ground for rejection, with the guiding principle being to prevent unnecessary hardship to pensioners while ensuring the authenticity of records.

4. ऐसे मामलों में जहाँ सेवा अभिलेख/PPO में दर्ज पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर का नाम आधार में दर्ज नाम से पूर्णतः मेल नहीं खाता है, DH और AAO को विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए और केवल मामूली भिन्नताओं जैसे स्पेलिंग में अंतर, आद्याक्षरों का प्रयोग आदि के आधार पर DLC को अस्वीकृत नहीं करना चाहिए। केवल वही अंतर जो स्पष्ट रूप से पहचान में असंगति दर्शाते हैं, अस्वीकृति का आधार बनें। मार्गदर्शक सिद्धांत यह होना चाहिए कि पेंशनरों को अनावश्यक कठिनाई से बचाते हुए अभिलेखों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाए।

5. It is often seen that pensioners or family pensioners enter their **original PPO number** (issued before migration to SAMPANN) while submitting their Digital Life Certificate. Such DLCs should **not be rejected** for this reason alone. Instead, the DH/AAO should make reasonable efforts to trace the corresponding **SAMPANN PPO number** using the details of the original PPO and then update the DLC in line with the instructions provided in the User Manual.

5. यह भी देखा गया है कि पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर DLC प्रस्तुत करते समय अक्सर अपना मूल PPO नंबर (जो SAMPANN में माइग्रेशन से पूर्व जारी हुआ था) दर्ज करते हैं। ऐसे DLCs को केवल इस कारण अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय DH/AAO को मूल PPO के विवरण का उपयोग कर संबंधित SAMPANN PPO नंबर का पता लगाने का उचित प्रयास करना चाहिए और फिर उपयोगकर्ता पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार DLC को अद्यतन करना चाहिए।

6. All CCAs are requested to ensure strict compliance with this advisory and disseminate the same to all dealing officials/officers for uniform implementation.

6. सभी CCA कार्यालयों से अनुरोध है कि इस परामर्श का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करें और इसे सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों तक समान रूप से कार्यान्वयन के लिए प्रसारित करें।

This issues with the approval of Competent Authority.
यह सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

Encl : As above
संलग्नक : उपर्युक्त

ज़फर इक्बाल

(ज़फर इक्बाल)
उप महानियंत्रक संचार लेखा
(पेंशन एवं आइ. टी)
Email: dycgcabait-dot@gov.in